मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार **भोपाल, दिनांक 8 मई, 2025**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि विषयक ।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2024/ नियम / चार दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 (भुगतान माह फरवरी, 2024) से सातवें वेतनमान अंतर्गत मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है ।

2 / राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतनमान अंतर्गत शासकीय सेवकों हेतु मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	वर्तमान में प्रचलित मंहगाई भत्ते की दर का प्रतिशत	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत मंहगाई भत्ते की कुल दर
दिनांक 01 जुलाई, 2024 (भुगतान माह अगस्त 2024) से	50%	03%	53%
दिनांक 01 जनवरी, 2025 (भुगतान माह फरवरी 2025) से	53%	02%	55%

3 / उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 53 प्रतिशत एवं दिनांक 01 जनवरी, 2025 से कुल 55 प्रतिशत हो जायेगी ।

4 / राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 मई, 2025 (भुगतान माह जून, 2025) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जुलाई,

2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में क्रमशः माह जून, जुलाई, अगस्त , सितम्बर एवं अक्टूबर,2025 में किया जायेगा ।

5/ राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 31 मई, 2025 की अवधि में सेवानिवृत / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा ।

6 / मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

7 / मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

8 / यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 8 मई, 2025

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / विशेष सहायक, मान. उपमुख्यमंत्री जी, वित्त मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
6. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
7. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
9. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

31. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग